

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 172/2023

उनवान

श्री.....कैलाश बलार.....

बनाम

श्री.....श्री पल्लव बलार.....

धारा 88, 89, 92 & 188 प्रा0पत्र / राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31/10/23	वाद जाँच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 30/11/23 को पेश हो।	
30/11/23	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/11/23 को पेश हो। 1, 6 को पेश हो। आदेश से रीडर	
29/11/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/11/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
9/03/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/02/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
9/1/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 21/11/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	

2/8/24 कलकत्ती कादीगण के शर्कता पर प्रस्तुत करने
 पर नमन की गई कादीगण ने विपक्ष
 किया है कि कादीगण प्रकटा में
 विपक्षी से । के द्वारा विपक्षी से 2
 के पक्ष में प्रजोक्त विपक्ष विपक्षी
 किया गया है जिसे कादीगण प्रकटा
 विपक्ष के विपक्षी विपक्षीकरण
 की कार्यवाही सक्षम - भागालप में
 अपने अधिकारी को सुरक्षित रखने हुये
 प्रस्तुत करना चाहता है इस पर
 कादीगण द्वारा प्रस्तुत कद को लोकार्पण
 जाने की शर्कता की है

११
कलकत्ता



११ अथवा

शान्त

प्रकटा

और, कादीगण एवं उनके अधिकारी
 के शर्कता पर पर इस प्रकार में कार्यवाही
 समाप्त करने हुये प्रजोक्त विपक्ष पर
 विपक्षी के विपक्षीकरण हेतु सक्षम-
 भागालप में कार्यवाही करने की
 अनुमति प्रदान की जाती है प्रकटा में
 इसी काल पर कार्यवाही समाप्त
 की जाती है प्रकटा के सुलभुमा (के
 नाका से कम किया जावे

Khad

उपखण्ड अधिकारी एवं
 प्रथम सहायक कलकत्ता
 भीलवाड़ा